FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

मूला पुत्र स्व. गोगा जाति जाट निवासी ग्राम कालातालाब रामपुरा अरांई तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै. प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– भू.राज. अधि.1956 धारा 136

नंबर 13 /2022

ऑनलाइन नंबर 2022/13

वकील वादीगण नरोतम शर्मा वकील प्रतिवादीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2022	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील नरोतम शर्मा ने अन्तर्गत धारा 136 राज.का.अधि. के तहत पेश किया। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18.02.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	
18/2/2022	पत्रावली पेश हो। अप्रार्थीगण ने तामीलशुदा नोटिस प्राप्त किए। आज राज. रेवेन्यू बार की ओर से आमिल कार्य का स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 04/3/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
04/3/2022	पत्रावली पेश हुई वकील वादी...उपस्थित...। वकील प्रतिवादी...उप0/ जवाब... हेतु समय चाहा वास्ते...जवाब सरकार...पत्रावली दिनांक...25/3/2022...को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. वकील प्रार्थी ने [illegible] पेश [illegible] हो पत्रावली दिनांक 26/9/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 17/10/25 को पेश हो।	
17/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 14.11.25 को पेश हो।	
14.11.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। फरीकैन उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली सरकार जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी स्वयं उप० होकर पत्रावली में उक्त प्रा० प० में मात्र नाम की शुद्धि चाहता है इस बाबत प्रार्थी द्वारा ordersheet पर अपने हस्ताक्षर किए तथा तहसीलदार अरांई पेशकार सरकार के जवाब में नाम शुद्धि की अनुशंसा एवं दस्तावेजों के आधार पर नाम शुद्धि का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~उस~~ अलग से आदेश लिखा जाकर शामिल मिसल होकर पत्रावली नम्बर से कम हो। [signature]	मुझ प्रार्थी को उक्त प्रार्थनापत्र में नाम शुद्धि करवाना है हिस्सा शुद्धि अभी नहीं करवाना चाहता हूं [signature] गणेश

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 13/2022

1. मूला पुत्र स्व० गोगा

2. रामधन पुत्र स्व० गोगा (मृतक)

2/1. विश्राम पुत्र स्व. रामधन

2/2. कानाराम पुत्र स्व. रामधन

2/3. सांवरलाल पुत्र स्व. रामधन

2/4. रूपचन्द पुत्र स्व. रामधन

2/5. लाडा पुत्री स्व. रामधन

3. गणेश पुत्र स्व० रामलाल

4. राधामोहन पुत्र स्व० रामलाल

5. रामाकिशन पुत्र स्व० रामलाल

6. हरि पुत्र स्व० रामलाल

7. सन्तोष पुत्री स्व० रामलाल

8. मन्जू पुत्री स्व० रामलाल

9. सायरी पुत्री स्व० रामलाल

10. कल्याण पुत्र स्व. रामचन्द्र

11. रणजीत पुत्र स्व. रामचन्द्र

सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम कालातालाब (रामपुरा) तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 14.11.24

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम अराई पटवार हल्का अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1612 रकबा 4.0612 हैक्टेयर है। जिस पर प्रार्थीगण का ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है।2. यह कि प्रार्थीगण के पूर्वज हरकरण पुत्र हजारी नाऔलाद फोत हो गया है जिसके हिस्से की आराजी प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 में निहित हो गयी है तथा रामलाल पुत्र हजारी के स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके हिस्से की आराजी प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा रामचन्द्र पुत्र हजारी के स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके हिस्से की आराजी प्रार्थीगण संख्या 10 व 11 के नाम दर्ज की गयी है।3. प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1608 में कृषि भूमि के हिस्से के अनुसार खसरा नम्बर 1612 का खरीद शुदा भूमि है में प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/4, प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/4 व प्रार्थीगण संख्या 3 से 9 के पक्ष में हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/4 व प्रार्थी संख्या 10 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/8 व प्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/8 अंकन कर राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या नया 997, खाता संख्या पुराना 950 खसरा संख्या 1612 में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि दिनांक 29.04.1980 के खसरा नम्बर 1612 के रजिस्टर्ड दस्तावेज में प्रार्थीगण संख्या 3 से 8 के पिता व प्रार्थीया संख्या 9 के पति का नाम रामलाल है लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदार रामकरण पुत्र हजारी सहवन से दर्ज हो गया है जिसके स्थान पर रामलाल पुत्र हजारी का नाम अंकन कर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि रामलाल व रामकरण प्रार्थी संख्या 3 से 9 के पिता/पति के नाम है जो एक ही व्यक्ति के नाम है जो राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र व रेवेन्यू रिकोर्ड में भी खाता नम्बर 799/76 में रामलाल पुत्र हजारी का नाम दर्ज है।अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1608 में कृषि भूमि के हिस्से के अनुसार खसरा नम्बर 1612 जो खरीद शुदा भूमि के खातेदार काश्तकार है में प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/4, प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/4 व प्रार्थीगण संख्या 3 से 9 के पक्ष में हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/4 व प्रार्थी संख्या 10 के पक्ष में हिस्सा [illegible] स्थान पर हिस्सा 1/8 व प्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/3 अंकन कर [illegible] रिकार्ड के खाता संख्या नया 86, खाता संख्या 950 पुराना 985 खसरा संख्या 1612 में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावे। दिनांक 29.04.1980 के खसरा नम्बर 1612 के रजिस्टर्ड दस्तावेज में प्रार्थीगण संख्या 3 से 9 के पिता/पति का नाम रामलाल है लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदार रामकरण पुत्र हजारी सहवन से दर्ज हो गया हैं जिसके स्थान पर रामलाल पुत्र हजारी का नाम अंकन कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण दिनांक 14.2.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस दिनांक 18.2.2022 को प्राप्त हुए । जिसके उपरान्त पेरोकार सरकार काजवाब दिनांक 31.10.2023 के बाद प्राप्त हुआ । उसके उपरान्त दिनांक 5.7.2024 को वकील श्री भवानीसिंह राठौड उपस्थित होकर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर दिनांक 8.8.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर आदेश पारीत कर अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में ओमप्रकाश पुत्र [illegible] बैरवा निवासी कटसूरा को पक्षकार बनाया गया जिसका आदेश दिनांक 8.8.2024 को पृथक से जारी किया गया । तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई । जिसे शामिल पत्रावली किया गया । तथा दिनांक 14.11.2025 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई । तथा बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया । उसके उपरान्त पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम अरॉई के ख.न. 1608 रकबा 9.7727 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 1586 में रामकरण पुत्र हजारी हि. 1/4 दर्ज है। ग्राम अरॉई के ख.न. 1612 रकबा 4.0612 हैक्टेयर वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 997 में रामकरण पुत्र हजारी हि. 1/3 दर्ज है। ग्राम अरॉई के ख.न. 1606, 1607,3508/1580 कुल किता 3 रकबा 1.4724 हैक्टेयर में रामकरण पुत्र हजारी हि. 1/4 दर्ज है। विक्रेता सुमेरसिंह पुत्र लादूसिंह जाति मेहता निवासी अरॉई द्वारा खन. 1612/3 रकबा 25.02.00 बीघा क्रेता रामचन्द्र हरकरण, रामलाल पि. हजारी, मूला, रामधन पि.गोगा जाति जाट को दिनांक 17/04/1980 को बैचान किया गया है। जिसका नामान्तरण संख्या 532 दिनांक 15/03/1984 से स्वीकृत हुआ है। ग्राम अरॉई के ख.न. 1605, 1606, 1607, 1608, 1580/[illegible] कुल किता 5 रकबा 72.02.00 बीघा में क्रेतागण हरकरण, रामचन्द्र, रामलाल पुत्र हजारी हि. 1/2 रामधन, मूला पि. गोगा हि. 1/2 द्वारा विक्रेतागण गिरधारीसिंह, बालसिंह पि. संगतसिंह, केसर सिंह (बालिग), सिद्धार्थ (नाबा.) पि.कानसिंह सर्वजाति मेहता निवासी अरॉई तहसील किशनगढ़ से क्रय की गयी है। विक्रय पत्र के मुताबिक ख.न. 1612,1608, 1606,1607, 3508/1580 में रामकरण पि. हजारी के स्थान पर रामलाल पि. हजारी की दुरुस्ती किया जाना उचित है। ख.न. 1612 में मु.न. 115/2020 प्रकरण जिला कार्यालय अजमेर में विचाराधीन है। पेरोकार सरकार जवाब अनुसार संलग्न विक्रय पत्रों की छायाप्रतियों अनुसार रामकरण पि. हजारी के स्थान पर रामलाल पि. हजारी की दुरुस्ती किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार एवं पटवार हल्का अराई की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2023 में रामकरण पिता हजारी के स्थान पर रामलाल पिता हजारी शुद्ध किया जाना उचित है का अंकन इन्द्राज है । सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि राजस्व ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अरांई के वर्तमान खसरा संख्या 1612 रकबा 4.0612 हैक्टेयर में राजस्व रिकार्ड में रामकरण पि. हजारी के स्थान पर रामलाल पि. हजारी दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा [illegible] अमल दुरूस्ती की जायेगी। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner